जहाँ नागरिकता (संशोधन) विधेयक लागू नहीं होता

लेखक- अभिषेक साह (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

9 दिसम्बर, 2019

"आज नागरिकता संशोधन विधेयक पेश होने वाला है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के सभी या कुछ हिस्सों को छूट देकर पूर्वोत्तर में चिंताओं को दूर करना है। इस आलेख में हम जानेंगे कि ये क्षेत्र क्या हैं और मणिपुर के मामले में इससे क्या फर्क पड़ता है?"

सोमवार को, सरकार नागरिकता (संशोधन) विधेयक (सीएबी), 2019 को पेश करेगी, जिसके जरिये मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जाएगा, ताकि चुनिंदा वर्गों के गैरकानूनी प्रवासियों को छूट प्रदान की जा सके। चूंकि इस विधेयक में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए विपक्ष ने बिल को भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए उसकी आलोचना की है। सीएबी के संशोधित संस्करण में, केंद्र ने पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों को छूट दी है, जहां इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया जा रहा है।

वास्तव में, यह पूरे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, लगभग पूरे मेघालय और असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों को छूट प्रदान करता है, लेकिन मणिपुर को इसके दायरे में रखता है। मणिपुर की चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार से विशेष प्रावधानों की घोषणा की उम्मीद की जा रही है।

तीन राज्यों को पूरी तरह से छूट क्यों दी गई है?

नागरिकता (संशोधन) विधेयक (सीएबी) में कहा गया है कि "इस खंड में कुछ भी असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है और इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित है। इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में प्रचलन में है। नागालैंड में, दीमापुर शहर अभी तक ILP के अंतर्गत नहीं आया है।

ILP सिस्टम कैसे काम करता है?

यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जिसे भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को संरक्षित क्षेत्र में सीमित समय के लिये आंतरिक यात्रा की मंजूरी देने हेतु जारी किया जाता है। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप से आवेदन करने के बाद प्राप्त किया जा सकता है और जिसमें यात्रा की तारीखें और उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करना होता है जहाँ ILP धारक यात्रा करना चाहते है। आगंतुकों को इस संरक्षित क्षेत्र में संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होता है।

इस दस्तावेज को 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन' एक्ट, 1873 के तहत जारी किया जाता है। विदित हो कि अंग्रेजों द्वारा इनर लाइन परमिट की शुरुआत, उनके क्षेत्रों में अतिक्रमण से जनजातीय आबादी की रक्षा के लिए की गयी थी, लेकिन बाद में संघ के एक राज्य में प्रवेश करने के लिए वाणिज्यिक हितों को आगे बढाने के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा देने की प्रणाली के लिए इस्तेमाल किया गया। सरल शब्दों में कहें तो ब्रिटिश सरकार ने इनर लाइन सिस्टम इसलिए लागू किया था कि नागालैंड और अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक औषधि और जड़ी-बूटियों का प्रचुर भंडार था जिसे ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड भेजा करती थी। इन पर किसी और की नजरें नहीं पड़ें तो उन्हें सबसे पहले नगालैंड में इसकी शुरूआत की थी। आजादी के बाद भी ऐसी व्यवस्था लागू है। अब इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि इन राज्यों के मूल निवासियों की कला, संस्कृति रहन-सहन, बोलचाल औरों से काफी

अलग है, ऐसी स्थिति में इनके संरक्षण के लिए इनर लाइन परमिट व्यवस्था को लागू करना बहुत जरूरी है ताकि बाहरी लोग इधर की संस्कृति को प्रभावित न कर सकें। 1950 में, भारत सरकार ने 'ब्रिटिश विषयों' को 'भारत के नागरिक' के साथ बदल दिया, ताकि उनके हितों की रक्षा के बारे में स्थानीय चिंताओं को दूर किया जा सके।

सीएबी के तहत लाभार्थियों के लिए इस छूट का क्या मतलब है?

ILP राज्यों में, पहले से ही अन्य भारतीय राज्यों के प्रवासियों की एक बड़ी संख्या है। वे लम्बी अवधि वाले ILP से लैस रहते हैं और वहां काम करते हैं और ILP को नवीनीकृत करते रहते हैं। इसलिए, अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति को CAB के माध्यम से भारतीय नागरिक बनाया जाएगा, तो क्या वह किसी अन्य भारतीय नागरिक की तरह ही ILP के लिए आवेदन कर सकता है और ऐसे राज्यों में काम कर सकता है?

इसके अलावा, ILP प्रणाली या छठी अनुसूची के तहत क्षेत्रों में 'बाहरी लोगों' (उस राज्य/क्षेत्र के बाहर के भारतीय नागरिक) के प्रवेश और ठहरने पर कई प्रतिबंध और नियम मौजूद हैं। इन मौजूदा नियमों से किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने की उम्मीद की जाती है जिसने सीएबी के माध्यम से नागरिकता हासिल कर ली है।

इन्फ्लूएन्शियल युवा मिजो एसोसिएशन की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष वनलारुता ने कहा कि हालाँकि, यह छूट स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले किसी भी अप्रवासी नागरिक को सीएबी के माध्यम से भारतीय नागरिक के रूप में नियमित नहीं किया जा सकता है। छूट का मतलब है कि किसी भी बांग्लादेशी को मिजोरम और अन्य ILP राज्यों में सीएबी के तहत बसने की अनुमति दी जाएगी। यही हमारी मांग थी - कि भले ही सीएबी को पारित कर दिया जाए, लेकिन मिजोरम जैसे राज्य को छूट दी जानी चाहिए।

छठी अनुसूची क्या है और सीएबी से किन क्षेत्रों को छूट दी गई है?

अनुच्छेद 244 (2) और 275 (1) में वर्णित संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन में विशेष प्रावधानों से संबंधित है और इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के लिए विशेष अधिकार प्रदान करती है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने और आदिवासी समुदायों द्वारा स्व-शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वायत्त जिला परिषद के पास विभिन्न विषयों पर उनके अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों में कानून बनाने की शक्तियां हैं।

मिजोरम किसी भी मामले में ILP शासन के अंतर्गत आता है। छठी अनुसूची के तहत संरक्षित क्षेत्रों वाले अन्य तीन राज्यों में, आदिवासी बहुल मेघालय में तीन एडीसी हैं जो शिलॉन्ग शहर के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर व्यावहारिक रूप से पूरे राज्य को कवर करते हैं। असम में तीन एडीसी और त्रिपुरा एक हैं और सभी छठी अनुसूची शक्तियों के साथ हैं।

तो, मणिपुर इन दोनों प्रकार के शासन का अपवाद क्यों रहा है?

इस पर जेएनयू में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में सहायक प्रोफेसर एल. लाम. खान पियांग का कहना है कि त्रिपुरा की तरह मणिपुर एक रियासत थी। जब वे भारतीय संघ में शामिल हो गए (दोनों 1949 में; जहाँ दोनों 1972 में पूर्ण विकसित राज्य बन गए), वे छठी अनुसूची की योजना से बाहर थे।

केवल 1985 से, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में छठी अनुसूची लागू की गई थी। तो केंद्र ने कहा था कि मणिपुर में भी इसे जल्द ही बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि, मणिपुर में राज्य सरकार ने छठी अनुसूची के लिए तीन बार सिफारिश की थी, लेकिन इन्होनें इसे ठीक से आगे नहीं बढ़ाया।

मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों के बारे में क्या?

मणिपुर के दो भौगोलिक रूप से अलग क्षेत्र हैं। घाटी, जिसमें इंफाल शामिल है, भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% है, लेकिन राज्य की आबादी का लगभग 60% है। ये ज्यादातर मेइती समुदाय से हैं। शेष 90% पहाड़ी क्षेत्र हैं, अन्य 40% के लिए घर है, जिसमें नागा और कुकिस सहित जनजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

पियांग ने कहा कि केंद्र ने राज्य का दर्जा देते हुए यह जाना कि आदिवासियों के लिए कुछ समस्याएँ आ सकती हैं और इसलिए अनुच्छेद 371 सी लागू किया गया।

अनुच्छेद 371 सी क्या है?

इसमें मणिपुर के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है: 'जिसके अनुसार, भारत के राष्ट्रपति विधानसभा में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति का गठन और कार्य करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं और इसके काम को सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। राज्यपाल को इस विषय पर हर साल एक रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजनी होती है।'

इसमें कहा गया है, 'राज्यपाल वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति को आवश्यकता हो, मणिपुर राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप सकता है और संघ की कार्यकारी शक्ति उक्त क्षेत्रों के प्रशासन को राज्य को दिशा-निर्देश देने तक विस्तारित रहेगी।'

पियांग ने कहा कि इस प्रावधान के माध्यम से विधानसभा में मणिपुर के आदिवासियों की रक्षा की जाती है, मुख्य रूप से मणिपुर राज्य विधान सभा के हिल एरिया कमेटी के माध्यम से - जिसमें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के विधायक शामिल हैं।

क्या मणिपुर के लिए कोई अन्य प्रावधान हैं?

संसद द्वारा पारित मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद् अधिनियम, 1971, 1972 में मणिपुर में छह स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। पिछले साल, मणिपुर पीपुल बिल, 2018 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था जिसे अभी राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार है। यह राज्य में 'बाहरी लोगों' या 'गैर-मणिपुरी लोगों' पर कई नियमों का प्रस्ताव करता है। बिल में 'मणिपुरी' लोगों को परिभाषित करने पर बातचीत की श्रृंखला थी, जिसके बाद 1951 में कट-ऑफ ईयर के रूप में सहमति बनी थी।

पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के बारे में क्या?

इस साल नवंबर में, मेघालय मंत्रिमंडल ने मेघालय निवासियों की सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे ऐसे कानून बनेंगे जिनके लिए अनिवासी आगंतुकों को अपना पंजीकरण कराना होगा। आईएलपी जैसी व्यवस्था पर मुख्यमंत्री शरद संगमा सहित नागरिक समाज और राजनीतिक नेताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के समर्थन में यह कदम उठाया गया था।

असम में भी ILP शासन की शुरुआत के लिए कुछ वर्गों द्वारा मांग की गई है। युवा संगठन असोम जातिवाद युवा चतरा परिषद जैसे संगठन पूरे राज्य में प्स्च् की मांग को लेकर प्रदर्शन आयोजित करते रहे हैं।

GS World टीम...

नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय कैबिनेट द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दिए जाने के बाद अब सरकार की कोशिश इसे संसद से पास कराने की है।
- विपक्ष के साथ साथ पूर्वोत्तर के कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे संसद में टकराव देखने को मिल सकता है।

उद्देश्य

- विधेयक का उद्देश्य चुनी हुई श्रेणियों में अवैध प्रवासियों को छूट देने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन करना है।

विधेयक के प्रावधान

- इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों (जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों) को आसानी से भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 के तहत सिटिजनशिप एक्ट 1955 में बदलाव का प्रस्ताव है।
- सिटिजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक, भारत में 11 वर्ष रहने के बाद ही यहां की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है लेकिन इस संशोधन बिल में गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए यह बाध्यमता नहीं होगी। उनके लिए यह समय की अवधि घटाकर 11 वर्ष से 6 साल कर दी गई है।

- पूर्वोत्तर के संगठनों की चिंता को देखते हुए सरकार ने इसमें बदलाव भी किए हैं। अब उन राज्यों में जहां इनर लाइन परमिट (ILP) लागू है उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) से छूट दी गई है। यही नहीं नॉर्थ ईस्ट के चार राज्यों के छह अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को भी इससे छूट हासिल होगी।
- सिटिजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक, अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। इस विधेयक में उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर दाखिल हुए हैं या उन्हें दी गई अवधि से ज्यादा समय तक रुक गए हैं। इन्हें जेल हो सकती है या स्वदेश लौटाया जा सकता है।
- नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में केंद्र सरकार ने पुराने कानूनों में बदलाव करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई शरणार्थियों को अवैध प्रवासी वाले नियम से छूट दी है। यानी इस बिल के तहत गैर मुस्लिम शरणार्थी यदि भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी पाए जाते हैं तो भी उन्हें जेल नहीं होगी।

पृष्ठभूमि

- इस विधेयक को 19 जुलाई, 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था। यही नहीं 12 अगस्त, 2016 में इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था।
- समिति की रिपोर्ट आने के बाद 08 जनवरी, 2019 को विधेयक को लोकसभा में पास किया गया लेकिन पूर्वोत्तर में जबर्दस्त विरोध होने की वजह से इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। बाद में लोकसभा के भंग होने की वजह से विधेयक निष्प्रभावी हो गया था।
- विपक्ष का आरोप है कि इसके जरिए मुस्लिमों को निशाना बनाया गया है।
- विरोध में कहा गया है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है जिसमें समानता के अधिकार की बात कही गई है। विधेयक संविधान के मूलभूत सिद्धांत को कमजोर करता है।

अवैध प्रवासियों के लिए क्या है प्रावधान?

- अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने साल 2015 और 2016 में उपरोक्त 1946 और 1920 के कानूनों में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को छूट दे दी है।
- इसका मतलब यह हुआ कि इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी रहते हैं तो उनको न तो जेल में डाला जा सकता है और न उनको निर्वासित किया जा सकता है।
- यह छूट उपरोक्त धार्मिक समूह के उन लोगों को प्राप्त है जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत पहुंचे हैं।
- इन्हीं धार्मिक समूहों से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र बनाने के लिए नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 संसद में पेश किया गया था।

कौन है अवैध प्रवासी?

- नागरिकता कानून, 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हों या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हों लेकिन उसमें उल्लिखित अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक जाएं।

Comm

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. संविधान की 6वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं हैं?

(a) इस अनुसूची में उत्तर भारत के दो राज्य तथा उत्तर पूर्व के चार राज्य शामिल हैं।

(b) इस अनुसूची की संवैधानिक स्थिति है।

(c) इस अनुसूची में शामिल राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया है।

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Which of the following is incorrect in the context of 6th Schedule of the Constitution?**

(a) This schedule includes two states of North India and four states of North East.

(b) This schedule has constitutional status.

(c) Autonomous district councils have been formed in the states included in this schedule.

(d) None of the above

नोट : 7 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः लोकसभा में रखे गए नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष उपबन्ध किए गए हैं। इन विशेष उपबन्धों की चर्चा करें तथा वर्तमान में इन क्षेत्रों के लिए मौजूद संवैधानिक तथा वैधानिक प्रावधानों से इनकी भिन्नता क्या है? यह भी स्पष्ट कीजिए। (250 शब्द)

Under the Citizenship Amendment Bill, 2019 introduced in the Lok Sabha, certain special provisions have been made for the North-East. Discuss these special provisions and what are their differences from the present constitutional and statutory provisions for these areas? Explain this also. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।